

नई दिल्ली, 14 जून, 2016

✓ का.आ.1160.—केंद्र सरकार, आयकर अधिनियम 1961, (1961 का 43) की धारा 56 की उपधारा (2) के खंड (VII ख) के परंतुक के खंड (ii) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त खंड के आशय से "व्यक्तियों की श्रेणियों" को उस "व्यक्ति के रूप में परिभाषित करती है जैसा कि वह निवासी होने के नाते उक्त अधिनियम की धारा 2 की उपधारा (31) के अंतर्गत परिभाषित किया गया है तथा जो "स्टार्ट अप" कंपनी के शेयरों के इश्यू के लिए अंकित मूल्य से अधिक कोई प्रतिफल करता है।

स्पष्टीकरण - इस अधिसूचना के आशय से, "स्टार्ट अप" से अभिप्राय ऐसी कंपनी से है जिसमें आम जनता पर्याप्त रूप से रुचि नहीं लेती है तथा जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग II, खंड 3, उपखंड (i) के अंतर्गत दिनांक 18 फरवरी, 2016 को प्रकाशित भारत सरकार, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग की दिनांक 17 फरवरी, 2016 की अधिसूचना सं. जीएसआरआई 80 (अ) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करती है।

[अधिसूचना सं. 45 /2016/फा. सं. 173/103/2016-आईटीए-1]

रोहित गर्ग, उप-सचिव